समाहरणालय, दरभंगा।
(आपूर्ति शाखा)

दिनांक–13.12.2016 को जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम 2016–17) संबंधी टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही की शुरूआत में तैयारी की समीक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में धान में नमी की मात्रा लगभग 22 प्रतिशत है।

- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि अभी तक 237 पैक्स का अनुमोदन हुआ है तथा उन्हे निदेश दिया गया कि शेष के बारे में तीन दिन के अन्दर विस्तृत प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय। साथ ही वैसे पैक्स जो जानबुझकर अधिप्राप्ति कार्य नहीं करना चाहते है उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की जाय।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि कुल 18व्यापार मंडल में से 5 व्यापार मंडल का अंकेक्षण हो गया है। अतः निदेश दिया गया कि अवशेष 13 व्यापार मंडल का अंकेक्षण कराकर तीन दिनों के अन्दर अनुमोदन हेतु जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थापित करें।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि आजतक लगभग 3600 किसानों का निबंधन हुआ है। जिससे प्रतीत होता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा के अधिप्राप्ति कार्य की तैयारी में वांछित प्रगति नहीं देखी जा रही है। अतः पैक्स/व्यापार मंडल के अंकेक्षण ससमय नहीं कराने, Deafulter पर कार्रवाई नहीं करने तथा किसानों का निबंधन में लगातार निदेश के बावजूद प्रगति नहीं होने के कारण जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा से विभाग से प्राप्त IT Operator के योगदान कराते हुए 2 दिनों के अन्दर पदस्थापना करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा निदेश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति का व्यापाक प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त IT Operator से किसान के निबंधन संबंधी कार्य का दैनिक प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में समर्पित करें।

प्रपत्र

क्र0स0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	किसानों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

- दिनांक–17.12.2016 तक सभी क्रय केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्था होने का प्रमाण पत्र जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा समर्पित करेंगे।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा दिनांक–15.12.2016 तक सभी पैक्स के गोदाम/भाड़े की गोदाम की क्षमता तथा चौहदी का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रपत्र

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	पैक्स/व्यापार मंडल का नाम	पैक्स गोदाम/भाड़े की गोदाम की क्षमता	चौहद्दी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

- समीक्षा के मध्य में जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि 8 मिल Registered हुआ है तथा अन्य मिलों का 7 दिन के अन्दर Registered कराकर एकरारनामा करा लिया जाएगा। अतः उन्हें निदेश दिया गया कि इस आशय का प्रतिवेदन भी जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायेंगे।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि पैक्स का टैगिंग निकटतम मिलों से करेंगे तथा सी0एम0आर0 क्रय केन्द्र/गोदाम एवं मिल की टैगिंग जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा निकटतम मिल से करेंगे। जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि मिलों से सी0एम0आर0 प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर विपत्र भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि मिल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी (जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) की सूची उपलब्ध करायेंगे तथा अवशेष मिलों पर प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव देंगे।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि पैक्स केन्द्र पर संधारित होनेवाले सभी पंजी का प्रपत्र उपलब्ध करायेंगे तथा इसके उपरान्त जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से सभी पैक्स के तद्नुसार पंजियों का संधारण दो दिनों अन्दर सुनिश्चित करायेंगे।
- पिछले अधिप्राप्ति वर्ष 2015–16 में राढ़ी पैक्स मिल, जाले में जन वितरण प्रणाली के चावल भंडारित पाये जाने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके वजह से पैक्स का मिल बंद है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि बिहार सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुये राढ़ी पैक्स के सरकारी मिल को चालू कराना सुनिश्चित करें।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा पैक्सों/व्यापार मंडलों को CC Sanction होने से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे तथा इस कार्य के त्वरित निष्पादन में शाखा प्रबंधक, बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक, दरभंगा को आवश्यक सहयोग करेंगे।
- शाखा प्रबंधक, बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक, दरभंगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि समन्वय स्थापित कर अधिप्राप्ति कार्य के लिये अनुमोदित सभी पैक्सों/व्यापार मंडल को अगले सप्ताह के वृहस्पतिवार तक CC Sanction हेतु एकरारनामा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०—

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 1581 /जि0आ0, लहेरियासराय, दिनांक – 16/12/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप निदेशक खाद्य, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/ जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड एवं अंचल के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला अग्निशामक पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला सनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी क्रय केन्द्र प्रभारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/16

जिलाधिकारी,
दरभंगा।